पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आरक्षण की भूमिका

अनिल कुमार

सार–संक्षेप–महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास के लिये प्रगति के निर्धारण का महत्त्वपूर्ण मानदंड होती है। उनकी शैक्षिक दशा, राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं उनके सामाजिक अधिकार उनकी स्थिति को जानने के संकेतक हैं। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसंबर, 1979 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया जो 3 सितंबर, 1981 से प्रभावी हुआ। महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यह सत्य है कि महिला सशक्तिकरण के सबंध में बुनियादी बदलाव आया है। महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है। महिला अधिकार राजनीतिक कार्यसूची में सर्वोच्च में सर्वोच्च स्थान पर हैं लेकिन खेद का विषय यह है कि महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में आज भी वह स्थान नहीं पा रही है जिसकी वह अधिकारिणी है। यह सत्य है कि यदि विभिन्न प्रशासनिक और संवैधानिक उपायों एवं योजनाओं को लागू करने के लिये कारगर प्रयास नहीं किए गए तो यह अधिकार सिर्फ कागजों में ही सीमित होकर रह जायंगे। महिला सशक्तिकरण के तीन स्तंभों–शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को समान रूप से महत्त्व देना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयासों से ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है।